राजस्थान सरकार
कार्यालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, झालावाड़

हैल्पलाईन :– 07432–230645,
07432 –230646

फोन न. 07432–230403, फैक्स न. –230404
Email: dm-jha-rj@nic.in

क्रमांक–न्याय / 2018 / 7077

दिनांकः 25.10.2018

–: आदेश :–

पुलिस अधीक्षक झालावाड ने पत्र सं0 सीबी / विविध / झाला / 18 / 34057–58 दिनांक 16.10.2018 से पुलिस थाना सदर झालावाड के अभियोग सं0 150 / 18 धारा 3 / 25, आर्म्स एक्ट में अभियुक्त शादी लाल पिता राधेश्याम जाति धाकड उम्र 28 साल निवासी तीतरवासा थाना सदर झालावाड के विरूद्ध आर्म्स एक्ट की धारा 3 / 25 के अन्तर्गत धारा 39 के तहत अभियोजन स्वीकृति जारी करने हेतु मूल पत्रावली भिजवाई है।

प्रकरण इस प्रकार है कि दिनांक 04.10.18 को दौरान गश्त व अवैध कार्यो की चेकिग इलाका सुनेल तिराहा चन्दलोई करते हुए मुताबिक सूचना मुखबिर सांकेतिक स्थान श्योपुर होता हुआ रूण्डलाव तिराहे पर पहुंचने पर अभियुक्त शादी लाल पिता राधेश्याम जाति धाकड उम्र 28 साल निवासी तीतरवासा थाना सदर झालावाड के कब्जे से बिना अनुज्ञापत्र दो अवैध जिंदा कारतूस .315 बोर के मिले। जिसके अनुज्ञापत्र के बारे मे पूछा तो अनुज्ञापत्र नही होना बताया। मौके पर विधि सम्मत कार्यवाही कर वापसी थाने पर अपराध स0 150 / 18 धारा 3 / 25 आर्मस एक्ट में पंजिबद्ध कर अनुसंधान प्रारम्भ किया गया।

दौराने अनुसन्धान निरीक्षण घटना स्थल फरियादी व गवाहन के कथन लेखबद्व किये गये। अनसुंधान से अभियुक्त के विरूद्व 3 / 25 आर्म्स एक्ट का अपराध प्रमाणित पाया गया । उक्त दो अवैध जिदां कारतूस .315 बोर का आरमोर्रर द्वारा मेकेनिक मुआयना करवाया गया। आरमोर्रर ने बताया कि एक कारतूस की केप पर पिन फायरिग का निशान है यह कारतूस मिस राउण्ड (मृत कारतूस) है जबकि दूसरा कारतूस जिंदा अवस्था मे है उक्त दोनो कारतूस एम्युनेशन की परिभाषा मे आते है। अभियुक्त के पास अनुज्ञापत्र होना नही पाया गया।

प्रकरण में सहायक निदेशक अभियोजन झालावाड़ की राय ली गई। सहायक निदेशक अभियोजन ने अपनी राय में व्यक्त किया है कि अभियुक्त के विरूद्व धारा 3 / 25 आर्म्स एक्ट के अपराध के लिए धारा 39 आर्म्स एक्ट के तहत अभियोजन स्वीकृति जारी करने के प्रथम दृष्टया आधार पुष्ट होते है।

प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी श्री दिनेश कुमार एएसआई व आरमोरर पुलिस लाईन श्री यशवंत सिंह उपस्थित हुए। मेरे द्वारा सील्ड दोनो कारतूसो को खुलवाकर भौतिक निरीक्षण किया गया एवं पुनः आर्मोरर की सील से सील्ड करवाया गया। जब्ती रिपोर्ट एवं आर्मोरर (Armourer) रिपोर्ट का गहनता से अध्ययन किया गया। केस डायरी में उपलब्ध समस्त रेकार्ड, आर्मोरर (Armourer) की स्पष्ट रिपोर्ट, तथा सहायक निदेशक अभियोजन की राय से सहमत होकर एंव अपने न्यायिक मस्तिष्क का प्रयोग करते हुए प्रस्तुत प्रकरण आगे अभियोग चलाये जाने योग्य मानते हुए आर्म्स एक्ट 1959 की धारा 39 में प्रदत्त शक्तियों के तहत अभियोजन स्वीकृति के पर्याप्त आधार होने के कारण अभियुक्त शादी लाल पिता राधेश्याम जाति धाकड उम्र 28 साल निवासी तीतरवासा थाना सदर झालावाड के विरूद्व आर्म्स एक्ट 1959 की धारा 3 / 25 के अन्तर्गत अभियोजन चलाये जाने हेतु धारा 39 के तहत अभियोजन स्वीकृति एतद्द्वारा प्रदान की जाती है।

(डॉ0 जितेन्द्र कुमार सोनी)
जिला मजिस्ट्रेट,
झालावाड